कार्यालय : न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायगढ़ (छ.ग.)

Ph.No. 07762-220416 Email ID - familycourt-rgh.cg@gov.in

:: आदेश :

क्रमांक : 30 / दो–11–15 / 2005 रायगढ़, दिनांक 28.11.2017

इस स्थापना में तृतीय श्रेणी (सहायक ग्रेड 03) के पद पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ के चयन समिति के अनुशंसा के अनुरूप चयनीत अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से वेतनमान वेतन मेट्रिक्स (5200–20200 ग्रेड पे 1900) लेबल 4 में उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है, जो निम्नानुसार है :–

सरल क्रमांक	चयनीत उम्मीदवार का नाम	वर्ग	रिमार्क
1	अनुसूईया ध्रूव पिता श्री अमृत लाल ध्रूव ग्राम व पोस्ट सिलतरा, थाना व तहसील पथरिया, जिला मुंगेली (छत्तीसगढ़) पिन 495335	अनारक्षित (मुक्त)	
2	श्रीमती ईश्वरी जायसवाल पति श्री नवीन कुमार जायसवाल क्वा. नंबर जी–4, सिंचाई कालोनी सक्ती, जिला जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	
3	योगेश कुमार पिता श्री रघुराज सिंह रघु फोटोकॉपी तहसील के सामने जगदल्ला चांपा, जिला जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)	

=// नियुक्ति की शर्ते //=

1. चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.12.2017 अथवा उसके पूर्व आवश्यक रूप से समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जाति एवम् निवास प्रमाण पत्र सहित पदभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय परिवार न्यायालय, रायगढ़ में सुबह 10.30 बजे से 5.30 बजे तक उपस्थित होवें।
2. चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष पद एवम् निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
3. चयनित अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने के पंद्रह दिवस के भीतर मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा हेतु योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अयोग्य पाये जाने की दशा में तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
4. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराये जाने एवं पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने पर सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।
5. चयनित अभ्यर्थी किसी राजनीतिक दल एवम् उनके किया–कलाप से सम्बन्ध नहीं रखेंगे।
6. चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने के पश्चात् किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे।

——2——

7. चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने के पश्चात् न्यायाधीश, परिवार न्यायालय रायगढ़ की अनुमति के बिना अन्य किसी पद के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे तथा अध्ययन जारी नहीं रख सकेंगे।
8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, उभयपक्ष द्वारा एक माह का वेतन अथवा एक माह पूर्व नोटिस देकर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।
9. चयनित अभ्यर्थी अपना मूल जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबोन समिति से तीन माह के भीतर सत्यापन कराकर सत्यापन प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
10. चयनित अभ्यर्थी को अनिवार्यतः दिनांक **15.12.2017** तक पदभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जायेगा।

आदेशार्थ सादर प्रस्तुत।

(जयदीप विजय निमोणकर)
न्यायाधीश
परिवार न्यायालय रायगढ़ (छ0ग0)